



UPMZ010070512026
न्यायालय सेशन जज, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2829 सन् 2026

01. मुनीत पुत्र राजेश,
02. विनेश पुत्र राजेश,
निवासीगण सुभाष चौक भौकरहेडी, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।
.....प्रार्थीगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अंतर्गत धारा-307, 331(6) बी.एन.एस.
थाना-खतौली, जिला मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं.-255/2025

10.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से थाना खतौली के अपराध संख्या-255 सन 2025, धारा- 307, 331(6) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही निरस्त हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय से खारिज हो चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण ने वादी के घर में घुसकर कोई चोरी नहीं की है, न ही वे ऐसी किसी घटना में सम्मिलित थे। असल बात यह है कि एस.आई. रनवीर सिंह प्रार्थीगण के थाना भोपा की पुलिस चौकी शुक्रताल पर इस घटना से पहले तैनात था और उसकी प्रार्थीगण के विपक्षी यशपाल उर्फ पेला से दोस्ती थी, उक्त रनवीर सिंह का स्थानांतरण थाना बुढ़ाना में हो गया और वहां जाकर उसने यशपाल उर्फ पेला के कहने पर प्रार्थीगण के साथ चुटकी उर्फ छुटकी और रितिन को गन्ना कोल्हू छछरौली से दिनांक 15.11.2025 को उठाकर उनको तीन दिन तक थाने पर बैठाये रखकर प्रार्थीगण के पिता राजेश से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी, न देने पर तीन दिन बाद एस.आई. रनवीर ने थाना

बुढ़ाना पर मु.अ.सं. 463 सन् 2025, बनाम मुनीत आदि पुलिस मुठभेड़ में जेल भेज दिये थे और थाना खतौली पर पूर्व में लिखे अज्ञात मुकदमे में भी झूठा फंसा दिया है। प्रार्थीगण से कोई भी बरामदगी नहीं है जो बरामदगी दर्शायी है वह झूठी है। वादी ने अपना उक्त मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया था। थाने की पुलिस ने प्रार्थीगण को जेल से तलब कर वारण्ट बनाकर झूठा फंसा दिया है। घटना का जनता का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थीगण के जेल में रहने से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रार्थीगण द्वारा जमानत के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। वे पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थना है कि मुकदमा प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का मामला है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा तौसीफ द्वारा घटना का दिनांक व समय अंकित न करते हुए दिनांक 26.06.2025 को समय 17.24 बजे थाना खतौली पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसका छोटा भाई अनवर मौहिददीनपुर में रहता है तथा ऊपर के पोरशन में उसका भतीजा अनस रहता है। उसके भाई के बच्चे दो तीन दिन से अपनी नानी के यहां मुजफ्फरनगर गये हुए थे तथा उसका भाई चीतल होटल में रात्रि में गार्ड की नौकरी करता है। इस कारण उसके भाई अनवर के मकान में कोई नहीं था। रात्रि करीब ढाई बजे उमरेज जो अनवर के सामने रहता है ने फोन किया। उनका भतीजा मौ. आसिफ जो थोड़ी दूरी पर रहता है, कि उसके चाचा के घर में कोई नहीं है। इस पर वादी ने उनके मकान के ऊपरी पोरशन में रह रहे अनस को फोन किया तो उसका फोन नहीं उठा। शोयब अपने भाई अमजद के साथ हाथों में लाठी लेकर अनवर के मकान की तरफ गये। लाठी के जमीन पर पड़ने की आवाज से घर के अन्दर के लोगों को जो चोरी की नीयत से घुसे थे, उनके आने का आभास हो गया। इस पर वे लोग तमन्चे से फायर करते हुए भाग गये। भागते हुए एक व्यक्ति को देखा जो नीली रंग का नेकर व काली टी शर्ट पहने था। उनके जाने के बाद उन्होंने ऊपर सो रहे अनस को जगाया तथा घर के अन्दर चैक किया तो गले का सोने का सैट चोरी हो गया था।

इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई अनवार के मकान से सोने का सैट चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं है। दौरान विवेचना दिनांक 17.11.2025 को आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस पार्टी द्वारा पुलिस मुठभेड़ की घटना में पकड़ा जाना तथा उसके द्वारा विभिन्न चोरी की घटना कारित करने की संस्वीकृति किया जाना एवं विभिन्न चोरी की घटनाओं का माल मुकदमा बरामद होना कहा गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व सजायाफता नहीं है तथा वह दिनांक 18.11.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले में विवेचनोपरांत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा तत्संबंधी दंड को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति-युक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्तगण मुनीत एवं विनेश पुत्रगण राजेश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **प्रत्येक** अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/—, 50,000/—रुपये (पचास-पचास हजार रुपये) की दो-दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :-

- (1) आवेदकगण/अभियुक्तगण बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा—
 - (क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।
 - (ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है. कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा. धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
- (2) आवेदकगण/अभियुक्तगण यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है. तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

- (3) आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- (4) आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसके विरुद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

प्रभारी— सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।